RAJYA SABHA

Friday, 24th May 1957

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

RESOLUTION *RE* APPOINTMENT OF A COMMITTEE TO CONSIDER THE MEASURES REQUIRED TO MEET THE SHORTAGE OF AGRICULTURAL LABOUR IN THE COUNTRY.

श्री राम सहाय (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"इस सभा की यह सम्मति है कि देश में कृषि श्रमिकों की कमी और उसकी वजह से अनाज के उत्पादन में जो कमी हुई है उसे देखते हुए सरकार को कृषि का अनुभव रखने वाले चार संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिए जो इस स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करे और इस सम्बन्ध में सरकार को प्रतिवेदन दे ।"

इस प्रस्ताव में मैं आपकी आज्ञा से कुछ थोड़ा सा सशोधन करना चाहता हू । वह इस प्रकार है कि जहां इसमें यह शब्द आए है कि "अनाज के उत्पादन में जो कमी हुई है" उसके आगे मैं यह बढ़ाना चाहता हू कि— "और उत्पन्न अनाज को जो हानि पहुचा है" । तो मैं आपकी अनुमति से अपना प्रस्ताव संशोधित रूप में इस तरह से रख देता हू :

"इस सभा की यह सम्मति है कि देश में कृषि श्रमिकों की कमी और उसकी वजह से अनाज के उत्पादन में जो कमी हुई है और उत्पन्न हुए अनाज को जो हानि पहुंची है, उसे देखते हुए सरकार को कृषि का अनुभव रखने वाले चार संसदीय सदस्यों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिए जो इस स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करे और इस सम्बन्ध में सरकार को प्रतिवेदन दे ।"

सभापति महोदय, मेरे प्रस्ताव में इस कथन के बारे में कि आया कृषि श्रमिकों की कमी है या नहीं, कुछ मतभेद है कि कुछ प्रान्तों के मुख्तलिफ हालात इस प्रकार हैं कि कहीं कुछ कम है और कहीं कुछ नहीं है । लेकिन चाहे उसमें कमी अनुभव की जाय या न की जाय, वस्तुस्थिति इस प्रकार है, वाक़या यह है कि कृषि श्रमिकों का कृषि के कामों की तरफ रुझान नहीं है—उनको अनिच्छा हो रही है । उसका कारण यह है कि उनको जो मजदूरी मिलती है वह बहुत ही कम है । जहां पर कैपिटा इनकम हमारे नेशन की २६५ रु० है वहां उनकी केवल १०४ है और वह भी ऐसे लोगों को कि जिनको साल भर में करब करब आधे से कुछ ज्यादा दिनों काम करने का मौका मिलता है । तो मेरा यह निवदन है कि जब उनकी आमदनी में इतनी कमी है, तभी उसकी वजह से वे कृषि के कामों मे दिलचस्पी नहीं लेते हैं । शहरों में इन्डस्ट्रीज में और जहां जहां उनकी आवश्यकता होती है वहां जाकर वे काम करते है । साथ ही इसके द्वितीय फाइव इयर प्लान के तहत जो काम चल रहे है, जैसे पार इत्यादि डालना, बंधिया इत्यादि बनाना, स्कूल, सड़कें, कुए बनाना, कुछ लोग उनमें लग जाते है और इसकी वजह से भी उनमें कमी आ जाती है । सब से बड़ी दिक्कत उस वक्त अनुभव होती है जब कि कृषि का खास काम होता है और वह काम एक ही वक्त में आम तौर पर सारे इलाके मे शुरू होता है, जैसा म निवेदन करूं कि बोनी का जब वक्त होता है तब मजदूर नहीं मिलते । साथ ही इसके जब कटनी का वक्त होता है उस वक्त भी मजदूर नहीं मिलते है । कटनी के वक्त यह देखने में आया है कि दो, दो महीने तक सूखी फसल बराबर खड़ी रही, काटने को मजदूर नहीं मिले और उसके बाद ओले और पानी से फसल को जो नुकसान हुआ वह बहुत ज्यादा हुआ । मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे इलाके में अगर वक्त पर कटनी हो जाती तो ओले और पानी से कतई नुकसान न होता क्योंकि जिस वक्त वहां ओल गिरे वहां

[श्री राम सहाय]

फसल खड़ी थी और कटने को रह गई थी। एकाध जगह मैंने रास्ते में और दिल्ली के इलाके में भी देखा कि फसल खड़ी है और काटी नहीं गई है। सागर तट के इलाके में मने देखा कि वहां बहुत अरसे तक फसल सूखी खड़ी हुई है और कटनी उसकी नहीं हो सकी। तो बोनी के वक्त मजदूर न मिल सकने की वजह से भी नुकसान होता है और कटनी के वक्त मजदूर न मिल सकने की वजह से भी नुकसान होता है क्योंकि मजदूर काफी तादाद में नही मिलते। इसलिए जैसा कि मैंने निवेदन किया, इसके बारे में मतभेद होते हुए भी कि कमी है या नहीं, इसे देखते हुए अगर हम ऐसा भी महसूस करें कि मजदूरों की कमी नहीं है फिर भी इस बात को नितान्त आवश्यकता है कि जिस वक्त मजदूरों की आवश्यकता होती है उस वक्त हम किसी न किसी प्रकार से उसकी पूर्ति कर सकें ताकि हमारा जो अन्न पैदा हो वह वक्त पर ठीक तरीके से पैदा हो सके और पैदा हुए अन्न को किसी प्रकार की हानि न पहुच सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सब बातों पर हमें गम्भीरता-पूर्वक विचार करना है कि असल वाकया क्या है? जब से हमारे यहां स्वतत्रता आई है, उसके बाद से हमारे यहां के जो कृषक मजदूर हैं उनकी मनोवृत्ति कुछ तब्दील हो गई है। उनमें कुछ स्वाभिमान आया है, इस बारे में भी कोई शिकायत नहीं है। जो स्वाभिमान उनमें जागृत हुआ है वह बहुत ही अच्छा हुआ है, देश के लिए वह हितकर है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि उसकी वजह से आज वहां खेती के काम में रुकावट जरूर पैदा हुई है। अगर हम उनको मजबूर करें कि वे लोग उस काम को करे तो यह किसी तरह से आज सम्भव नहीं हो सकता। हमने तो इस बारे मे जो उनके कवानीन थे उनको भी हटा दिया। एग्रिकल्चर लेबर के लिए जब यह कानून बना हुआ था कि अगर वह किसी से कोई मुआहिदा कर ले कि मुझे इतने अर्से तक काम करना पड़ेगा तो फिर वैधानिक तरीके पर, कानूनन, पेशगी लेकर वह जो काम लेता था उसे करना पड़ता था। हमने यह भी देखा कि उसकी वजह से जो लोग पेशग या कर्जे पर ये काम करते थे उनकी प ढ़ियों की पीढ़ी मजदूरी कर्ज म चलती थी और वे कर्जा नहीं दे पाते थे। इस तरह से वे जिदगी भर हलवाही इत्यादि काम करते थे। आज भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कृषक मजदूर कर्जे में पदा हुआ, वह जिदग भर कर्जे में रहा और वसीयत में भी वह कर्जा ही छोड़ गया। तो इस प्रकार जो हमारी परिस्थिति थी वह स्वतंत्रता आने के बाद बदली। उन कानूनों को हमने रद्द किया, और यकीनन हमें करना ही चाहिए था। हमारे हरिजन भाइयों में भी स्वाभिमान पैदा हुआ। वे अब गांव के दूसरे बहुत से कामों में दिलचस्पी लेते है। जिस काम को वे ठीक नहीं समझते उसको नहीं करते और जिस काम म वे अपना भला समझते है उसको करते है। इस वजह से वे उन कामों को नहीं करते है जो पहले करते थे। यह भी कृषि श्रमिकों में कमी आने का एक कारण है। इन सब बातों को देखते हुए हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम इस बात पर विचार करें कि दरअसल इसको दूर करने का उपाय क्या हो सकता है। इन्हीं उपायों को ढूढने के लिए मैंने इस प्रस्ताव को रखा है और मै यह आशा करता हूं कि इस बारे में हमारे एग्रिकल्चर मिनिस्टर महोदय बहुत अच्छी तरह से, काफी तौर पर, गौर करेंगे। कारण यह है कि हमारे गांवों में जो मजदूर परिवार है वे ३० फी सदी से अधिक है और उनमें ज्यादा ऐसे है जिनके पास जमीनें नहीं हैं, तो वे जो काम करते है उसको वे निश्चित ही अरुचिकर तरीके से करते हैं और इसकी वजह से वह काम ठीक तरीके पर नहीं हो पाता है।

हमारे एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट ने साढे १५ लाख एकड़ जमीन आबाद की है। यह बहुत अच्छा काम हुआ है और इससे हमारे फूडग्रेंस के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। लेकिन मेरी एक शिकायत है और वह शिकायत यह है कि

उन्होंने ज़मीन आबाद कर दी, मगर उसके बाद उस ज़मीन की ताकत को बदस्तूर कायम रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया । पहले कुछ लोन इसलिये दिया गया कि उनकी बधिया डाली जाय, लेकिन बधिया डालने में दिक्कत यह आई कि बधिया डालने को मजदूर तो मिले नहीं ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेक्टर इत्यादि भी इस काम के लिए उपयुक्त मात्रा म नहीं दिये गये। इस का नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने कर्ज़े लिये थे, वे समय पर सहायता न मिलने के कारण बधिया इत्यादि नहीं बनवा सके और जोताई के बाद जिस चीज़ की आवश्यकता थी वह नहीं हो सकी । उसके बाद लोगों को बैल खरीदने के लिए कर्ज़े दिये गये और कुछ लोगों ने बैल खरीदे । लेकिन जितनी गहरी जुताई, ट्रेक्टर के द्वारा की गई थी, उस जुताई को सदैव कायम रखने के लिए जितने अच्छे बैलों को रखने की आवश्यकता थी, उतने अच्छे बैल नहीं दस्तियाब हो सके । जहां तक मैंने देखा है ४००, ५०० रुपये जोड़ी के बैल किसान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेढ़ डेढ़ हज़ार रुपये के जोड़ी के बैलों से भी उस ज़मीन की जुताई ठीक तरह से नहीं हो सकी । फिर इतने कीमती बैल हर आदमी खरीद भी नहीं सकता है । मेरा यह कहना है कि उन्होंने १५ लाख एकड़ ज़मीन आबाद तो कर दी लेकिन आबाद करने के बाद कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई जिससे लोग हमेशा उस ज़मीन से फायदा उठाते रहे । सेंट्रल ट्रेक्टर आर्गेनाइज़ेशन से जो जमीनें जोती गई हैं, उन ज़मीनों के जोतने में भी बड़ी बड़ी दिक्कतें पेश आई है । पहले इसके बारे में २६ रु० एकड़ लिये जाने की बात माननीय मिनिस्टर महोदय जो उस वक्त थे उन्होंने फरमाई थी । लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मामूली ज़मीन के लिए, जो आबाद या परती ज़मीन थी, वह रेट बढ़ कर ५५ रु० एकड़ हो गया और जगल आबादी के लिए सौ रुपये एकड़ तक हो गया । नतीजा इसका यह हुआ कि जो ज़मीन इस तरह से जोती गई उस पर इतना खर्चे का बोझा पड़ गया कि वह नाकाबिले बरदाश्त हो गया । इसके बाद जो हालात पैदा हुए उन पर गौर करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो रेट्स कम किये जो कि ३५ रु० एकड़ के हिसाब से है, वह रेट्स बहुत ही रं ज़नेबिल है । इसमें ५ रु० एकड़ स्टेट गवर्नमेंट सब्सीडी भी देती है । इस तरह मैं समझता हू कि ३० रु० एकड़ दे कर ज़मीन आबाद की जा सकती है और हमारी शिकायत जो इस बारे मे है कि एग्रीकल्चर लेबर की कमी है वह भी दूर हो सकती है । लेकिन हमने देखा है कि जिस वक्त ३० रु० एकड़ की घोषणा की गई तब से वहां ट्रेक्टर चले ही नहीं । मैंने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट देखी । उसमें भी ओवर हैड चार्जेज़ की ज्यादती बताई गई थी । इस तरह जो शिकायत की गयीं उन शिकायतों को दूर करने के लिए जहां ज़रूरत यह थी कि उन ट्रेक्टरों को अच्छी तरह से काम में लाये जाने की बात सोची जाती या उनको किफायतशारी के तरीके पर चलाने की बात सोची जाती, वहां हुआ यह कि वैरागढ़ में जो वर्कशाप था उसको बन्द कर दिया गया । इस तरह ओवर हैड चार्जेज़ कम करने से कोई लाभ नहीं हो सकता है । असल में जैसा अब रेट्स की कमी के बारे मे सोचा जा रहा है, वैसी सुविधाएं यदि ट्रेक्टर आदि की दी जातीं तो बहुत अच्छा होता । मेरा विश्वास है कि जैसा अब रेट्स की कमी के बारे में विचार किया गया है, उसके अनुसार यदि कार्य किया जायगा तो यक़ीनन जो ग़ल्ले की कमी महसूस की जा रही है वह दूर हो जायगी । मेरा यह नम्र निवेदन है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब जो मैंने अर्ज़ किया है उस पर खास तौर से ग़ौर फरमायें ।

जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया मै यह बताना चाहता हू कि बोनी और कटनी, इन दोनों वक्तों मे, मज़दूरों की बहुत ज़रूरत पड़ती है । वैसे ही हमारे यहां काफी मज़दूर नहीं है लेकिन इन दोनों वक्तों मे वे इस कमी को बिलकुल पूरा नहीं कर सकते है यह निश्चित बात है और मानी हुई बात है । पहले जब हमारे

[श्री राम सहाय]

यहां मध्य प्रदेश या मध्य भारत में ज्यादा फसल होती थी तो उस वक्त मैंने देखा था कि राजस्थान से और विन्ध्य प्रदेश से, जो कि तब मध्य प्रदेश में शामिल नहीं था, सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में फसलें काटने के लिए मज़दूर आते थे। लेकिन अब चूंकि हालात अच्छे हो गये हैं, इसलिए इन दोनों जगहों से मज़दूर कम आते है। इसकी वजह से भी फसल को बहुत काफी नुकसान हुआ है। इस कमी को पूरा करने के लिए मेरा यह कहना है कि किसी न किसी अंश में हमें मेकेनाइज्ड फर्मिंग की तरफ जाने की आवश्यकता होगी और इसके बारे में अगर ज्यादा इंतज़ाम न हो सके तो कम से कम बोने और काटने की मशीनों का इंतज़ाम कर ही दिया जाय। मैंने यह देखा ह कि जो बाहर से बोने की मशीनें आई है, उनमें थोड़ी सी तरमीम करके हम उनसे बहुत फायदा उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश में, भेलसा में, मैंने अपने खेत में वह मशीनें चलवाई थीं और उन मशीनों से बहुत अच्छी तरह बीज बोया गया। इस तरह अगर उस मशीन में ऐसी तरमीम कर दी जाय जो हर जगह की ज़रूरत को पूरा कर सके तो मैं समझता हूं कि उससे बहुत लाभ हो सकता है। इन्हीं मशीनों की तरह कुछ ऐसी मशीनें आई हैं जो फसल के काटने के काम में आती हैं और भूसा में से अन्न के निकालने के काम में भी आती हैं। ऐसी मशीन लगा देने के बाद सिर्फ बोरे में ग़ल्ला भरने का काम रह जाता है और ऐसी मशीनों में अगर हम अपने यहां के हालात के मुताबिक तरमीम कर दें तो हमें बड़ा लाभ हो सकता है और जो कसीर तादाद में हमारा ग़ल्ला खराब होता है वह भी नहीं होगा। बहुत सा ग़ल्ला सूख जाने की वजह से वहीं खेत म गिर जाता है। मैंने यह देखा है कि जितना ग़ल्ला हम बोते है उससे ज्यादा खेत में पड़ा रह जाता है। इन सब बातों पर अच्छी तरह से ध्यान देकर अगर हम ग़ल्ला करें तो गल्ला को पैदा करने में और पैदा करने के बाद जो हानि होती है उसको हम बचा सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि हमारे यहां जो मशीनें है उनके लिए कम काम मिलता है। यकीनन कुछ दिनों कम काम मिला, लेकिन उसका कारण यह था कि कुछ पुरानी मशीनें आई हुई थीं जो काम के लायक नहीं थीं और जो नई मशीनें आई हुई थीं उनकी ठीक तरह से व्यवस्था नहीं की गई थी। अब जो व्यवस्था की गई है और रेट कम किया गया है, उसके अनुसार अगर काम हुआ तो यक़ीनन बहुत कुछ लाभ हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि हमारे यहां करोड़ों बीघा काबिले काश्त आराज़ी पड़ी हुई है और अगर हम उस सब को आबाद कर सकें और उससे फायदा उठा सकें तो जो हमारे यहां ग़ल्ले की जो कमी है उसको हम निश्चित रूप से पूरा कर सकते है। मध्य भारत के ग्वालियर, भिंड और मुरेना ज़िलों में मैंने देखा है कि जहां मज़दूरों से काम नहीं चल सकता था वहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बुलडोज़रों से ज़मीन को बराबर किया है और उन बीहड़ इलाकों को आबाद किया है। उन बीहड़ इलाकों में आम तौर पर डाकू छिपे रहते हैं जिनकी वजह से वहां डकती अक्सर क्या रोज़ाना होती है और रोज़ाना कत्ल इत्यादि की खबरें आप अख़बारों में पढ़ते रहते हैं। उस चम्बल के बीहड़ इलाके में अगर हमें डाकुओं के आतक को दूर करना है, तो हमें उस इलाके को आबाद करने का प्रयत्न करना चाहिये। इसके अलावा अगर उस ज़मीन को एकसां करके, हमवार करके, खेती के लायक बना करके, गवर्नमेंट उसको बेचे तो यक़ीनन उसमें ५०, ६० फी सदी पैसा गवर्नमेंट को मिल सकता है। बाकी पैसा नहीं मिलेगा और मैं समझता हू कि वह सबसिडी के तौर पर गवर्नमेंट को देना होगा लेकिन उसके देने से यह होगा कि मिलीटरी और पुलिस पर जो पैसा खर्च करके डाकुओं के उत्पात को जो रोका जा रहा है जिसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी और बहुत कुछ लाभ होगा।

मैं हाउस का बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और मैं मिनिस्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इन सब बातों पर विचार करें। यह मुमकिन है कि उनके ख्याल के मुताबिक लैंडलेस लेबरर्स बहुत ज्यादा तादाद में हों, उनके ख्याल के मुताबिक यह भी हो सकता है कि जो एग्रीकल्चरल लेबर है वह बहुत ज्यादा तादाद में अनइम्प्लायड हो, बहुत ज्यादा तादाद में बेकार हो, इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यह निश्चयात्मक रूप से कह सकता हूं कि हमारे सेकेंड फाइव इयर प्लान में एग्रीकल्चरल लेबर इनक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर इस बारे में जो कुछ कहा गया है उसमें भी इस बात को तसलीम किया गया है कि इम्प्लायड और अनइम्प्लायड एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में कोई डैटा अब तक इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, इसलिये यह बात निश्चयात्मक रूप से नहीं कही जा सकती है कि किस इलाके में कितना लेबर बेकार है। मैं यह मान भी लेता हूं कि एग्रीकल्चरल लेबर बहुत काफी तादाद में है लेकिन हमारे सामने जो प्रक्टिकल डिफिकल्टीज़ हैं—जैसा कि मैंने आप से निवेदन किया—वे इस प्रकार की हैं कि उनसे हमको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इन सब बातों पर बारीकी से देखने के लिये और उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिये ही मैंने इस प्रकार की एक कमेटी बनाये जाने की इच्छा इस रेजोल्यूशन के द्वारा की है और मैं समझता हूं कि इस बारे में मिनिस्टर महोदय अवश्य कुछ ध्यान देंगे।

MR. CHAIRMAN: There is a slight amendment to the Resolution and I hope that the permission of the House will be granted for that.

Resolution moved:

"This House is of opinion that having regard to the shortage of agricultural labour in the country resulting in low production of food-grains and loss in the produce, Government should appoint a Committee comprising four Members of Parliament with experience in agriculture to consider the measures required to meet the situation and report to Government thereon."

This is the Resolution. I want you to be as brief as possible because I want the next Resolution taken up by about 12 O'clock.

SHRI KISHEN CHAND (Andhra Pradesh): Couldn't we take up the other Resolution first, Sir?

MR. CHAIRMAN: We cannot do it unless we suspend the Rules of Procedure. I am asking Mr. Thomas to answer at 11-40. Yes. Mr. Narayanan Nair, just to the point.

SHRI V. K. DHAGE (Bombay): He could not have followed the speech.

SHRI PERATH NARAYANAN NAIR (Kerala): The Resolution is in general terms and I support it because I accept that an enquiry into the whole condition of agricultural labour is called for. Therefore, I accord my support to the Resolution.

Now, the Resolution points out the general pattern. There is shortage of agricultural labour in so many regions but in particular regions, for example, in my part of the country, in the southern region, we have surplus agricultural labour and if we have to have a real grasp of the situation, we must go a little through the historical pattern. Taking India as a whole, you will find that during the six decades from 1871 to 1931, the agricultural labour has increased from about 1/7th of the total population in 1871 to about 1/3rd of the population. This disintegration of our village economy, the transfer of land to the hands of non-agricultural classes has gone on as a result of the policy pursued by the foreign Government but this disintegration has

[Shri Perath Narayanan Nair.]

taken different degrees and different forms in the southern region, in Madras and Bombay—I find this in Kerala also but the statistics refer only to the Madras State and the Bombay State—where what is known as the ryotwari system has been in force. There, the phase of this disintegration has been very great. There has been land transfers to the moneylender classes and the richer classes. This dispossession of the actual ryots has been proceeding at a very great rate with the result that we find that in the southern region the population of agricultural labour is more than 40 per cent. of the total agricultural population. That is the position in regard to the southern region. If we come to United Provinces, Punjab and some other area, we find that the disintegration has been at a lower rate and the land reforms and settlement even under the British regime has taken different forms with the result that we find in that region that there is actual shortage of agricultural labour. There, it is less than 20 per cent. of the total agricultural population. If we take Bengal, Orissa, Assam, etc., we find that in these places what is called the zamindari system has been in force. This phase of disintegration has taken a different form and we find that the agricultural labour population varies between 20 per cent. and 40 per cent. of the total population. So, this general shortage of agricultural labour cannot be true of the whole of India. In our region, especially in Kerala, we have got surplus agricultural labour and the question is how to rehabilitate them. I do agree that even in those areas, there is a tendency for people from the rural areas to migrate to the plantations and to industrial areas. All that is there because of the very low level of wages and the very distressing conditions of life there but even then, there is surplus labour. So, the whole question is, taking an all-India view, there may be a certain amount of agricultural labour surplus and, especially now, when we have got big dams and irrigation projects where there are possibilities of vast agricultural operations, certain transfer of population is called for but I cannot say in general terms what particular form this transfer must take, what conditions of living must be guaranteed to them, etc., but this is a general problem and my point is that this problem requires active consideration and we cannot take the shortage as an all-India question. We have to deal with the problem Statewise. We have to take into consideration the density of population in certain regions of India, the sparseness of population in certain other areas, etc., and then devise measures by which there could be an even distribution of the agricultural population. All that requires an enquiry and that is why I generally accord my support to this Resolution.

SHRI KISHEN CHAND: Mr. Chairman, in so far as this Resolution stresses the fact that agricultural production has gone down and that there is a shortage of food in our country, I wholeheartedly agree with the suggestion that measures must be taken to, somehow or other, overcome this shortage of food. Sir, the immediate cause of this shortage of food is really the extreme fragmentation of land. The present holding of land is, on an average, about two acres and in a holding of two acres, with probably two bullocks, one of which is lame or becomes lame during the agricultural operations, with hardly any money for purchasing seeds and an equally less amount of money for purchasing of fertilisers, it is certainly not possible to get the maximum benefit out of land. The hon. Mover of this Resolution has pointed out that there is a further disadvantage as at the time of sowing and at the time of harvesting, there is shortage of labour because the holdings being of two acres, there are bound to be a very large number of farmers in a village and if the labour available is distributed among those large number of farmers, naturally there will

be a shortage of labour. The P.S.P. sometime back suggested the formation of a land army. This was only to overcome the shortage of agricultural labour. In recent times, there has been another suggestion also by the Party and by Acharya Vinoba Bhave and that is about gram dhan. Opinion is veering round to the fact that unless and until we can, somehow or other, consolidate these holdings and introduce co-operative farming, there is no salvation for the food difficulties of our country. This food shortage will continue unless and until we can, somehow, amalgamate these small holdings into big farms. How that is to be done is a difficult problem. We do not believe in regimentation. We do not believe in forcing all these farmers into co-operative societies. How can it be done on a voluntary basis? This is the main problem. I know, Sir, some hon. Members will say that they have experience of co-operative farming in Uttar Pradesh and that experiment has been a failure. That experiment has been a failure because the co-operative farming was done on the basis of a joint family where each member was assigned some work, and nobody did his share of the work. The type of co-operative farming that I am suggesting will be something like an organised industry. The co-operative society will work like any other factory, and in this every worker will be paid regular wages for the number of hours that he puts in. The land will be collectively the property of the co-operative society and once that co-operative society selects a managing committee and the chairman or president of that managing committee, the entire work of the colony will be governed by that managing committee. It will not be a co-operative society of brothers or family members which do some work, because that never succeeds; every man entrusts his work to his other relations and the work is not performed. Sir, when big factories can be run on co-operative lines I do not see any reason why farming cannot be run on co-operative lines. If farming is run on co-operative lines, each farmer having a share in the co-operative society to the extent of his land and over and above that putting in some hours of work, for which he is paid regular wages, I think we can increase food production. I submit, Sir, that we will require a much smaller number of cattle and we will be able to utilise the milch cattle in a dairy farm in a much better way. Therefore, Sir, if we continue the present fragmentation of land, then this Resolution is very important, and we must have a land army, but if the Government goes a step further and introduces co-operative farming, which is the latest idea of Acharya Vinoba Bhave, I think, Sir, that there will be hardly any need for a labour force and the entire village will work for itself.

MR. CHAIRMAN: Mr. Thomas.

SHRI JASPAT ROY KAPOOR (Uttar Pradesh): You said, Sir, that you would ask the Minister to reply at 11-40.

MR. CHAIRMAN: I looked at you, but you were talking to someone.

THE DEPUTY MINISTER FOR FOOD AND AGRICULTURE (SHRI A. M. THOMAS): Sir, at the outset I may mention that Government is not in a position to accept this Resolution. I cannot also subscribe to the assumption which is contained in this Resolution. The assumption is that there is shortage of agricultural labour in the country. Sir, we have had enquiries conducted with regard to this matter. There has been the agricultural labour enquiry conducted by the Ministry of Labour in the year 1950-51 and there have been the enquiries conducted under the auspices of the Planning Commission also, and I do not want to tire the House with the figures contained in the Labour Enquiry Committee Report and also in the chapter on 'agricultural workers' which is

[Shri A. M. Thomas.]

contained in the Second Five Year Plan. Suffice it to say that the conclusion arrived at by the Planning Commission is that about 30·4 per cent. of rural families are agricultural labourers, and according to the Planning Commission this vast number presents a very serious problem. It is also the conclusion of the Planning Commission that the present agricultural production in the country could be maintained with about 65 to 75 per cent. of the number of workers now engaged in it. Sir, it is true, as has been stated by my friend, Mr. Narayanan Nair, that there may be certain pockets in the different parts of the country where there may be a shortage in agricultural labour. But taking an overall view of the position in the country, the problem really is that it is not one of shortage of agricultural labour but one of unemployment and underemployment, and that is why, Sir, so many steps have been suggested by the Planning Commission, such as, expansion of work opportunities within the rural economy, specially through intensive development of village and small-scale industries and also adoption of a measure of redistribution of land and provision of educational facilities and concessions, to raise their social status and enable agricultural labour to develop greater confidence, initiative and ability to avail themselves of all economic opportunities. There are also suggestions of the Planning Commission which require us to improve the living conditions of the agricultural labourers.

Sir, with regard to the point that has been raised by Mr. Narayan Nair that there are certain areas in which there is excess of agricultural labour and certain areas where there is real shortage, I have to say that there are plans which have been adopted by the Food and Agriculture Ministry itself for resettlement in some other areas of excess agricultural labour in particular areas. The settlement of agricultural labourers in Bhopal is a step which has been taken by the Ministry in that direction and we shall certainly have a plan which would take into account the situation in the different parts of the country. As far as possible, we shall try to see that there is mobility of labour, that is, we shall try to resettle the labourers who are now in those places where there is a real excess in other areas wherein there is a shortage. All the same, Sir, we cannot say that there is a real shortage, and as I have submitted already, the real problem is one of under-employment and want of employment in the agricultural sector.

Then, Sir, the point has been raised by the mover that in certain peak seasons there is real difficulty in finding agricultural labour. I may state that there is some difficulty experienced during harvest time and the weeding season, when there will be the outbreak of monsoon, when replanting of seedlings will have to be done, but the situation is not such as to warrant the appointment of a committee to go into this question at all. I would say, Sir, had it not been for those circumstances existing in certain peak periods, when agricultural labour is in a position really to dictate terms, it is horrible to conceive of their lot in the slack seasons, so that we have to put up with that situation. Even in those seasons as we find, there may not be lack of personnel, but the labour may be in a position to dictate terms. They may demand and get increased wages at that particular period whereas they may have to be satisfied with very low wages in other parts of the year. So, Sir, I feel that it is not possible for the Government to accept this Resolution. Taking India as a whole, as I have stated, to meet this question of under-employment we have provided in the Second Five Year Plan 4·19 crores of rupees for assisting in the settlement of landless agricultural workers and 5 crores of rupees are proposed to be spent by States for the resettlement of landless agricultural workers. The main lines of develop-

ment in this regard are encouragement of cottage and small scale industries, large increases in agricultural production including animal husbandry and horticulture. I may also state for the information of the House that the Ministry of Labour are conducting, with the help of the National Sample Survey another agricultural labour enquiry to investigate into the scope of employment, the living standards, etc., of agricultural labourers, and this enquiry is expected to bring forth information on all aspects of the subject. The points raised by the mover as well as the points that have been placed by Mr. Narayanan Nair Will certainly form the subject-matter of the enquiry that would be conducted.

Sir, with regard to the questions raised by Mr. Kishen Chand, they are larger questions, and they are dealt with in the Second Five Year Plan itself. The Government is taking necessary steps in the direction of consolidation of holdings and the latest position of the Planning Commission itself is that it would render aid in the matter of consolidation of holdings so that there may not be fragmentation and agricultural production may not suffer. The great importance that has been attached to developments in the field of co-operation, in the matter of consolidation of holdings and other fields is quite known to the hon. Members and I do not want to reiterate it.

With these words, Sir, I submit that it is not possible for the Government to accept this Resolution and I hope that the hon. mover would withdraw it.

श्री राम सहाय : सभापति महोदय, मिनिस्टर महोदय ने जो बातें बताई हैं उनके आधार पर मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

The *Resolution was, by leave, withdrawn.

*For text of Resolution, *vide* cols. 1441-42 *supra*.

RESOLUTION REGARDING THE CONVENING OF A CONFERENCE OF WORLD POWERS TO CONSIDER MEASURES TO HALT NUCLEAR TEST EXPLOSIONS.

SHRI M. GOVINDA REDDY (Mysore): Mr. Chairman, Sir, I beg to move that:

> "This House is of opinion that having regard to the declared opinion of famous scientists of the world that nuclear test explosions constitute a real danger to the human race, Government should convene a conference of World Powers to consider how best to halt such explosions."

As the House will see, my Resolution deals with the subject of halting nuclear test explosions. About this, Sir, I am sure there are no differences of opinion either in this House or in the country and we all know, especially after the discussion in the other House on a Resolution on this subject, the firm and emphatic opinion of the Government and no country in the world is in such a happy position as to find that on this subject the Government as well as the people are in complete unanimity. Sir, the world feels agitated today; it feels agitated on a menace the like of which the world has never faced before. The world has seen natural calamities like floods and earthquakes washing off many a home or burying many a happy home or populous cities. The world has seen calamities, pestilence, plague and such diseases making ravages in different parts of the world and taking a very heavy toll of human and animal lives. The world has also seen wars, wars where ambitious people tried to conquer weaker people and where at the end they were disillusioned after a number of people, thousands in olden days and with the progress of civilisation millions of lives, were lost. We have also seen that blood-thirsty fanatics